न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 118/प्रा0पत्र/2022 दायरा दिनांक :–14.06.2022

GCMS ID–2022/106

उनवान

1. कजोड पुत्र छोगा जाति तेली निवासी निवासी बसोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
2. रामस्वरूप पुत्र छोगा जाति तेली निवासी निवासी बसोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रहलाद आ. रामकिशन जाति तेली निवासी बसोली
2. कैलाशचन्द आ. रामरतन जाति ब्राहम्ण निवासी बसोली
3. रामधन आ. मांगीलाल जाति तेली निवासी बसोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री शम्भूदयाल शर्मा

वकील अप्रार्थी :– एक पक्षीय कार्यवाही

आदेश

दिनांक : 30.06.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि खाता संख्या 22 ख.सं. 114 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, ख.सं. 120 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, ख.सं. 121 रकबा 0.0162 गे. मु.चाह, ख.सं. 122 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, ख.सं. 123 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, ख. सं. 124 रकबा 0.1862 हैक्टेयर, ख.सं. 125 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, ख.सं. 180 रकबा 1.1574 हैक्टेयर, ख. सं. 240 रकबा 0.2347 हैक्टेयर, ख.सं. 241 रकबा 0. 3723 हैक्टेयर, ख.सं. 242 रकबा 0.5585 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 3. 0918 हैक्टेयर वाके ग्राम बसोली पटवार मण्डल बसोली मे विरिथत है, उक्त भूमि प्रार्थीगण व जोध्या बाई के नाम खातेदारी मे दर्ज है, खातेदार जोध्या की मृत्यु दिनांक 16.8.2016 को हो चुकी है, परन्तु प्रार्थीगण ही उक्त भूमियो पर निरन्तर निर्बाध रूप से शान्ति पूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमियो के अगल–बगल अप्रार्थीगण की भूमिया है अप्रार्थीगण कई बार सीमा सम्बन्धी विवाद करते है तथा प्रार्थीगण की भूमि के अन्दर अपनी भूमि होने का उज्ज करते है, जबकि प्रार्थीगण अपने खाते मे दर्ज भूमि मे ही खेती कर रहे है तथा अप्रार्थीगण अपनी भूमि की सीमा को पार कर जबरन प्रार्थीगण की भूमि को अपनी भूमि बताकर अतिक्रमण करना चाहते है, तब

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

प्रार्थीगण ने दिनांक 17.05.2022 को अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया परन्तु अप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान को मानने के लिये तैयार नही है. तथा दिनांक 20.05. 2022 को प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण ने धमकी दी कि हम तुम्हारी भूमि पर कब्जा करेगें और तुम्हारी सीमाओ पर लगी मेड को नष्ट करेगें और तुझे उक्त भूमि की पत्थरगढी नही करने देगे। प्रार्थी खर्चागण पत्थरगढीं वहन करने हेतु तैयार है। अन्यथा मौके पर अनावश्यक तनाव होगा एवं मुकदमे बाजी बढेगी। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार में है।प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क व तलबाने पर पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खाते की खाता संख्या 22 ख.सं. 114 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, ख.सं. 120 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, ख.सं. 121 रकबा 0.0162 गे.मु.चाह, ख.सं. 122 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, ख.सं. 123 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, ख.सं. 124 रकबा 0.1862 हैक्टेयर, ख.सं. 125 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, ख.सं. 180 रकबा 1.1574 हैक्टेयर, ख. सं. 240 रकबा 0.2347 हैक्टेयर, ख.सं. 241 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, ख.सं. 242 रकबा 0.5585 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 3.0918 हैक्टेयर वाके ग्राम बसोली पटवार मण्डल बसोली की पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थीगण को प्रदान की जावे।

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किए गए। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के अप्रार्थीगण पडोसी नहीं है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाकर अनावश्यक परेशान किया है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 242 के सहारे खसरा संख्या 236 सरकारी खाल है उसके साथ ही भूमि खसरा संख्या 242 के समीप खसरा संख्या 243 व 235 है, जिनके खातेदार को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थीगण किस खसरा नम्बर की पत्थरगढी करवाना चाहते है अंकन नहीं किया है पडौसी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाए जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जावे।

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू—प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक पक्षकारान को सुना गया। बहस वकील पक्षकारान मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र/जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार रही।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील पक्षकारान के बहस के दौरान प्रस्तुत पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम बसोली प0म0 बसोली तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 22 के अनुसार प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 22 के खसरा सं0 114, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 180, 240, 241, 242 कुल किता 11 कुल रकबा 3.0918 है0 वाके ग्राम बसोली प0म0 बसोली तह.0 हिण्डोली जिला बून्दी जो कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीगण से नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/06/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446